

का० आदेश सं०- 57

रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली-2010 संबंधी वित्त विभाग संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली (संशोधित) 2010 संबंधी वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-7549 दिनांक 13.07.2010 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 6068 दिनांक 13.06.2013 के आलोक में विभागीय स्क्रिनिंग समिति (निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन गठित) की दिनांक 27.08.2015 को सम्पन्न बैठक में गई अनुशंसा के आलोक में निदेशालय नियोजन के सचिवालय लिपिकीय सेवा के कर्मियों को नियमानुसार 12 एवं 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत वित्तीय उन्नयन एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत सीधी भर्ती ग्रेड वेतन में 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के परिशिष्ट-1 कडिका-2 के अनुसार रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की योजना अंतर्गत लाभ दिया गया है।

निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ 4, 5, 6, 7 एवं 8 में अंकित तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति दी गई।

(2) वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों का वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 के

क्र० सं०	नाम, पदनाम एवं वेतनमान	प्रथम नियुक्ति की तिथि/वरीयता क्रमांक	बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, (संशोधित) 2010 अनुसार ए० सी० पी०		दिनांक 01.01.09 से रूपांतरित ए० सी० पी० 2010		
			प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि/ वेतनमान, पुनरीक्षित वेतनमान 01.01.2006 से	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/ वेतनमान,	प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि/ वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/ वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन	तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/ वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री राजेश दास, उ० व० लिपिक 9300-34800 4600 01.09.06 से ग्रेड पे० 4800 अनुमान्य	01.09.82 सामान्य प्रशासन विभाग का वरीयता क्रमांक 42	प्रथम ACP प्राप्त	द्वितीय ACP प्राप्त	-	-	01.09.12 9300-34800 5400
2	श्री संजीव शरण, उ० व० लिपिक 9300-34800 4600	02.03.95 (अपराहन) सामान्य प्रशासन विभाग का वरीयता क्रमांक 275	प्रथम ACP प्राप्त	-	-	03.03.15 9300-34800 4800	-

नियम-8 एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना संशोधन नियमावली-2006 तथा वित्त विभाग के पत्रांक 2181 (वि०) (2) दिनांक-24.03.04 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.10, वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि० दिनांक 10.04.2013 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

(3) वित्तीय उन्नयन के आदेश में भविष्य में त्रुटि पाये जाने पर संशोधन का अधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना में सन्निहित होगा। इस आधार पर कम या अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एकमुस्त बसूली कर ली जायेगी।

ह०/-  
(शशि भूषण)  
निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

(कृ० पृ० उ०)

ज्ञापांक-1/स्थाप-2011/2010

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप-2011/2010

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-उप निदेशक (नियोजन) मुख्यालय /निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना/लेखा शाखा/बजट शाखा/सभी संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

*मनीष*

ज्ञापांक-1/स्थाप-2011/2010

885

पटना-15, दिनांक-

2/9/15

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

*शशि सुषण*

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

v-k

02.09.15

क्र.सं.	नाम	पद	श्रेणी	वर्ग	वर्ग	वर्ग
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...